गुरुचरण कोरी और अन्य

बनाम

बीबी शम्सुन्निसा

जुलाई 27, 1993

[के. जयचंद्र रेड्डी और एन. पी. सिंह, न्यायमूर्तिगण]

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908—धारा 100—मोचन हेतु वाद—क्या वाद संपूर्ण बंधक संपत्ति के लिए है अथवा उसके किसी भाग के लिए—निर्णय: यह तथ्य एवं विधि का संयुक्त प्रश्न है।

वादी-अपीलकर्ताओं ने मोचन के लिए एक मुकदमा दायर किया जो था विचारण न्यायालय ने ख़ारिज कर दी, लेकिन पहली अपीलीय न्यायालय ने फैसला सुनाया। प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की और सफलतापूर्वक तर्क दिया कि मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था क्योंकि यह केवल भूमि बंधक के एक हिस्से के संबंध में दायर किया गया था।

इस न्यायालय में विशेष अनुमति द्वारा अपील पर, वादी-अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रतिवादी द्वारा उठाए गए मुकदमे की गैर-रखरखाव की याचिका तथ्य के प्रश्न से संबंधित है जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील में पहली बार नहीं उठाया जा सकता था।

अपील को अनुमति देते हुए, यह न्यायालय

अभिनिर्धारित : सवाल - क्या मोचन के लिए मुकदमा उन सभी भूखंडों का सम्मान जो गिरवी रखे गए थे या केवल उनके एक हिस्से के संबंध में था - प्रतिवादी द्वारा उठाया गया तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न है। आपत्ति किसी भी प्रारंभिक चरण में नहीं ली गई थी और अधीनस्थ अदालतें इस सवाल में नहीं गए। मामला कानून के अनुसार निपटारे के लिए न्यायालय को वापस भेजा जाता है। [417-एफ-एच; 418-ए]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1993 की दीवानी अपील सं. 3403।

1983 के अपीलीय डिक्री सं. 149 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 8.5.1992 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए एस. बी. सान्याल और विष्णु माथुर (एन.पी.)।

उत्तरदाताओं के लिए उदय सिन्हा और ए. शरण (एन.पी.)।

न्यायालय का निर्णय उनके द्वारा दिया गया था

एन. पी. सिंह, न्यायमूर्ति अनुमति दी गयी।

वादी इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी हैं। अपीलार्थियों के पूर्वज गोपाल महतो द्वारा एक अकरम हुसैन के पक्ष में निष्पादित 28 जुलाई, 1916 के बंधक बांड के मोचन के लिए उन्होंने मुकदमा दायर किया। मुकदमा तब दायर किया जाना था जब उत्तरदाता ने उसे दिए गए बंधक धन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। विचारण न्यायालय ने उक्त मुकदमे को खारिज कर दिया। अपीलकर्ताओं द्वारा अपील दायर किए जाने पर, विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने उत्तरदाता के पक्ष में फैसला सुनाया और प्रतिवादी को निर्देश दिया गया कि वह अपने पक्ष में जमा की गई राशि वापस ले ले और न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपीलकर्ताओं को भूमि का खाली कब्जा सौंप दे, अन्यथा अपीलकर्ताओं को न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से विवादित भूमि पर कब्जा करना होगा। प्रतिवादी/उत्तरदाता की ओर से दायर की जा रही दूसरी अपील पर, उच्च न्यायालय ने मुकदमे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि चूंकि मोचन के लिए मुकदमा केवल पांच भूखंडों में से एक के संबंध में दायर किया गया था, जिसे प्रतिवादी के हित में पूर्ववर्ती के पक्ष में गिरवी रखा गया था, इसलिए उक्त मुकदमा विचारणीय नहीं था।

उच्च न्यायालय के समक्ष, उत्तरदाता की ओर से एक रुख अपनाया गया था कि उपरोक्त बंधक विलेख सं.557, 558, 559, 564 और 565, द्वारा 74 डिसमिल के कुल क्षेत्र के साथ, गिरवी रखे गए थे, लेकिन अपीलकर्ता दो भूखंडों यानी भूखंड संख्या 565 और 551; के संबंध में मोचन की मांग की थी, दो भूखंडों में से, भूखंड संख्या 551 कभी भी बंधक का

विषय नहीं था और इस तरह मोचन के लिए मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था। अपीलकर्ताओं ने उसकी अनुसूची के साथ शिकायत की एक प्रति प्रस्तुत की है और उनकी ओर से यह आग्रह किया गया है कि विवाद के विषय के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति के बारे में गलत धारणा के तहत उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमा खारिज कर दिया गया है। एक शिकायत यह भी की गई थी कि यह प्रश्न कि क्या मोचन का वाद उन सभी भूखंडों के संबंध में है जो गिरवी रखे गए थे या केवल उसके हिस्से के संबंध में है, तथ्य का प्रश्न था और इस प्रकार वाद की गैर-रखरखाव के संबंध में ऐसी कोई याचिका, उच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार प्रतिवादी की ओर से नहीं ली जानी चाहिए थी।

उत्तरदाता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, अपील के अभिलेखों से इंगित नहीं कर सके कि यह आपत्ति उत्तरदाता की ओर से किसी भी प्रारंभिक चरण में ली गई थी और अधीनस्थ न्यायालयों ने इस प्रश्न पर विचार किया है। यह विवादित नहीं हो सकता है कि यह तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न है। एसी स्थिति में, हमारे पास उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करने और कानून के अनुसार निपटारे के लिए मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। चूंकि मुकदमा वर्ष 1970 में दायर किया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह उक्त अपील का जल्द से जल्द निपटारा करे।

अपील की अनुमति दी गई।

आर. पी.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।